राजस्व वाद संख्या:- 156/2022
प्रताप बनाम बनवारी वगै0
निर्णय दिनांक:- 27.06.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- सुमन देवी II, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 156/2022

1. प्रताप पुत्र डुडाराम जाति जाट, निवासी गोकुल का बास, तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

- वादीगण

बनाम

1. बनवारी पुत्र डुडाराम जाति जाट, निवासी गोकुल का बास, तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. मनैजर (प्रबन्धक) भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
3. मनैजर (प्रबन्धक) झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

- प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणा रिकॉर्ड दुरस्ती</u>

:: निर्णय ::

दिनांक - 27.06.2025

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि-

(क) यह कि वादग्रस्त भूमी राजस्व ग्राम गोकुल का बास पटवार हल्का फरट तहसील सूरजगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 78 रक़बा 2.16 हैक्टर में प्रशासन शहरों के संग में किये गये अंकन भूमि ख.न. 78 रकबा 1.08 है0 बनवारी पुत्र श्री डुडाराम जाति जाट निवासी गोकुल का बास के नाम अंकन किया जावें व ख.न. 211/78 रकबा 1.08 है0 भूमि प्रताप के नाम अंकन किया है यह आदेशित किया जावे की पूर्व में अंकन खसरा नं. 78 प्रताप 211/78 को निरस्त करते हुए आदेशित किया जावे कि खसरा नं. 78 रकबा 1.08 है0 प्रताप के नाम किया भी इसी प्रताप पर्चा पास बुक व रिकॉर्ड में अमान जाने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) कि वादी व प्रतिवादी के कब्जे अनुसार भूमि ख.नं.78 का भौतिक रूप से विभाजन संशोधन किया जावें।

(ग) यह कि अन्य सिद्वी जो बहक वादी हो और भूल व गलती से चाही जाने से रह गई तो वह भी वादी को धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलावाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः– 156/2022
प्रताप बनाम बनवारी वगै0
निर्णय दिनांकः–27.06.2025

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। वादी व प्रतिवादी ने राजीनामा पेश किया। वादी वकील ने राजीनामा के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस एवं विभाजन प्रस्ताव।

हस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री क़िया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खसरा नम्बर 78 रकबा 2.16 हैक्टर कुल ग्राम गोकुल का बास पटवार हल्का फरट का अंकन बनवारी पुत्र डुडाराम निवासी गोकुल का बास के नाम अंकन किया जावे तथा खसरा नम्बर 211/78 रकबा 1.08 है0 भूमि प्रताप पुत्र डुडाराम के नाम अंकन किया जावे। वादीगण व प्रतिवादीगण से प्राप्त राज़ीनामा दिनांक 24.06.2025 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है । राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः– 156/2022
प्रताप बनाम बनवारी वगै0
निर्णय दिनांकः– 27.06.2025

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी II, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 156/2022

निर्णय दिनांकः–27.06.2025

प्रताप बनाम बनवारी वगै0

दावा बाबत खाता विभाजन

वादी की ओर से श्री अशोक कुमार शर्मा एड0 की उपस्थिती में इस वाद में आज दिनांक 27.06.2025 को सुमन देवी II, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्रि दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खसरा नम्बर 78 रकबा 2.16 हैक्टर कुल ग्राम गोकुल का बास पटवार हल्का फरट का अंकन बनवारी पुत्र डुडाराम निवासी गोकुल का बास के नाम अंकन किया जावे तथा खसरा नम्बर 211/78 रकबा 1.08 है0 भूमि प्रताप पुत्र डुडाराम के नाम अंकन किया जावे। वादीगण व प्रतिवादीगण के प्राप्त राजीनामा दिनांक 24.06.2025 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़